कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी

पत्रांकः एन0एच0एम0/मानव संसाधन/नियुक्ति/2020–21/19172 दिनांक 26 नवम्बर 2021

–:प्रेस विज्ञप्तिः–

जिला स्वास्थ्य समिति बाराबंकी के अनुमोदन के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों में **संविदा चिकित्सा अधिकारी** – हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी में **दिनांकः 14 दिसम्बर 2021 को अपरान्ह 12 बजे** से समस्त शैक्षिक मूल अभिलेखों एवं संलग्न निर्धारित प्रारूप के साथ वॉक इन इन्टरव्यू हेतु उपस्थित हो सकते है।

क0स0	कार्यक्रम का नाम	पदनाम	पदो की संख्या	मानदेय	योग्यता
1.	पोषण पुर्नवास केन्द्र,	चिकित्साधिकारी	01	45000/–	MBBS or equivalent degree from institution recognized by Medical Council of India, Must have completed compulsory rotarory Internship.
2.	मेटरनल हेल्थ	महिला चिकित्साधिकारी	02	65000/–	MBBS degree form Instiution recognized be Medical council of India.
4.	आर0एन0टी0सी0पी0	चिकित्साधिकारी (डी0टी0सी0)	01	60000/–	MBBS or equivalent degree from institution recognized by Medical Council of India, Must have completed compulsory rotarory Internship. 1- Preferential Qualification-Diploma/MD Public Health/PSM/Community Medicine/cha/Tuberculosis & Chest Diseases. 2- One Year experience in NTEP 3- Basic Knowledge of computer.
5.	एन0सी0डी0	ईपीडिमियालॉजिस्ट	01	60000–80000	**Essential Quilafication-** MBBS degree form Instiution recognized be Medical council of India. **Desirable-** Diploma/Master in Public Helth or MD/DNB in Preventive & Social Medicine/Community Medicine/Community Health Administration/MBA (Health Care Administration). **Experience-** At lest 3-4 year's experience in Health Management/Public Health Programme/Health Services after obtaining post graduate degee/Diploma. **Age Limit-** Up to 50 year. Retired Govt./Public Sector officers up to the age of 62 years are eligible apply.

1. शैक्षिक योग्यता एम0बी0बी0एस0,मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया में पंजीकृत।
2. संविदा पर नियुक्ति निर्धारित अवधि दिनांक **31.03.2022** तक के लिए की जायेगी राज्य स्तर से निरन्तरता प्राप्त होने पर संतोषजनक सेवाये प्रदान करने की दशा में नवीनीकरण किया जायेगा।
3. संविदा पर अधिकतम 62 वर्ष तक की आयु, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य अभ्यर्थी चयन हेतु अर्ह होगें।
4. राज्य/शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। परन्तु आरक्षित श्रेणी के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियां उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

6. नियुक्ति की शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप NIC की बेवसाइट **barabanki.nic.in** पर देखी जा सकती है तथा आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है।
7. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र नीचे दिये गये प्रारूप पर भरकर ।
8. आवेदन पत्रों पर चयन समिति के माध्यम से वॉक इन इन्टरव्यू के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी। वॉक इन इन्टरव्यू के समय सभी मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। वॉक इन इन्टरव्यू हेतु अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जायेगा और न ही आने जाने व ठहरने का यात्रा भत्ता आदि दिया जायेगा। यदि पूर्व निर्धारित वॉक इन इन्टरव्यू की तिथि में परिवर्तन होता है तो उक्त की सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।
9. देय मानदेय का पुर्न निर्धारण राज्य सरकार/मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। एक मुश्त मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि देय नहीं होगी।
10. इस नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति पाने का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. नियुक्त/चयनित अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर प्रभावी गर्वनमेन्ट कन्डक्ट रूल लागू होंगें।
12. कार्य व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें (संविदा) तुरन्त समाप्त की जा सकती है।
13. संविदा कर्मियों की तैनाती स्थान विशेष पर ही की जायेगी तथा किसी अन्य चिकित्सालय पर स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
14. संविदाकर्मी किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे और ये अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेगें, और न ही इन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
15. संविदा कर्मी यदि सात दिन लगातार अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेगी।
16. संविदा कर्मी यदि अपनी सेवायें छोड़ता है तो उसे एक माह पूर्व इसकी सूचना सम्बन्धित कार्यालय में देनी होगी, यदि वह इसकी सूचना एक माह पूर्व प्रेषित नहीं करता है तो एक माह का वेतन उसे जमा करना होगा।
17. सभी संविदा कर्मियों का अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति, बाराबंकी के साथ किया जायेगा।
18. नियुक्ति प्रक्रिया एवं वॉक इन इन्टरव्यू तिथि में संशोधन/निरस्त करने का अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति में निहित होगा।
19. चयन समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा तथा नियुक्ति से सम्बन्धी सभी विधिक विवादों का निस्तारण स्थानीय माननीय न्यायालय, बाराबंकी के जूरिएडिक्शन के अधीन होगा।
20. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी पर लागू होंगे।
21. संविदा के पद भारत सरकार द्वारा वित्तीय जूरिएडिक्शन के अधीन होगे।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आर0सी0एच0,
बाराबंकी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति,
बाराबंकी।

Scanned with CamScanner